"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2010— आषाढ़ 4, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आर. आर. के. ढोकने पिता श्री रामकृष्ण ढोकने, उम्र 46 वर्ष, निवासी क्वा. नं.-14 बी, सड़क नं.-31, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम रविन्द्र ढोकने रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रविन्द्र ढोकने पिता श्री रामकृष्ण ढोकने के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
आर. आर. के. ढोकने पिता-श्री रामकृष्ण ढोकने निवासी-क्वाटर नं. 14 बी सड़क नं. 31, सेक्टर -10 भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	रविन्द्र ढोकने पिता-श्री रामकृष्ण ढोकने निवासी-क्वाटर नं. 14 बी सड़क नं. 31, सेक्टर -10 भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रविकुमार सोनी पिता श्री रविन्द्र सोनी, उम्र 39 वर्ष, निवासी शांतिनगर, क्वा. नं.-383, सड़क नं.-2, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम "जे. चलपति राव" दर्ज है जो कि मेरा घरेलू नाम है, यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम रविकुमार सोनी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे रविकुमार सोनी पिता श्री रविन्द्र सोनी के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
जे. चलपति राव	रविकुमार सोनी
पिता-श्री रविन्द्र सोनी	पिता-श्री रविन्द्र सोनी
निवासी-क्वा. नं. 383, सड़क नं. 2	निवासी-क्वा. नं. 383, सड़क नं. 2
शांतिनगर, सुपेला भिलाई	शांतिनगर, सुपेला भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजेश कुमार पिता श्री बिरंची साहू, उम्र 29 वर्ष, जाति कोलता, निवासी -ग्राम-पलसापाली, थाना व तहसील-सरायपाली, उपखण्ड-सरायपाली जिला महासमुन्द (छ. ग.) का हूं. मेरे कुछ शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम "राजेश कुमार साहू" दर्ज है, "साहू" मेरा खानदानी उपनाम है. मैं अपने उपनाम को विलोपित कर अपना नाम राजेश कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजेश कुमार पिता श्री बिरंची साहू के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजेश कुमार साहू	राजेश कुमार
पिता-श्री बिरंची साहू	पिता-श्री बिरंची साहू
निवासी-ग्राम-पलसापाली	निवासी-ग्राम-पलसापाली
थाना व तह.-सरायपाली	थाना व तह.-सरायपाली
उपखंड-सरायपाली	उपखंड-सरायपाली
जिला-महासमुन्द (छ. ग.)	जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2010

क्रमांक/परि./2010/1090.—सफाई कामगार सहकारी समिति मर्यादित शंकरनगर, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 142, दिनांक 27-12-2002 को सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप संस्था को परिसमापन में लाते हुए श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जिसमें समिति के सदस्यों की बैठक आहूत कर यह निर्णय लिया गया है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जा कर सोसायटी

अधिनियम नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करेगी. इस संबंध में तात्कालिक अध्यक्ष द्वारा 10.00 के स्टॉम्प में संस्थां को पुनर्जीवित किये जाने के पश्चात् भविष्य में उपविधि में दिये गये नियमानुसार कार्य करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है. संस्था के सभी सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर हैं. अत: सदस्यों के हित में परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं..

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, (छ. ग.) शासन विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह (सी) दिनांक 26-7-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत सफाई कामगार सहकारी समिति मर्यादित, शंकरनगर, बिलासपुर, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर, पं. क्र. 142 दिनांक 27-12-2002 को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र./स. वि. अ./परि./10/01.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्नानुसार सहकारी समितियों को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें दुर्ग के आदेशानुसार परिसमापनाधीन लाया जाकर सहकारी विधान की धारा 71(1) के तहत आदेश क्र. संपंदु /परि./09/534 से 569 दुर्ग दिनांक 20-22-5-09 के अनुसार मुझे वाई. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: समस्त सदस्यों/सर्व सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित परिसमापनाधीन सहकारी समितियों के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है. जिस किसी सदस्य/सम्बन्धित को दावा (लेनदारी) देनदारी एवं संस्था का रिकार्ड्स हो तो, सूचना प्रकाशन के दो माह की भीतर मय प्रमाण अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा कार्यालय संयुक्त/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां बुनकर भवन संतरा बाड़ी दुर्ग में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर दावों का निपटारा करावें. यदि दावा निर्धारित समयावधि तक प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में कोई दावा या विवाद नहीं है, समिति का पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत दावा मान्य नहीं किया जायेगा. निर्धारित समयावधि के पश्चात् निम्नलिखित सहकारी समितियों का किसी भी प्रकार का अभिलेख स्टाक व परिसम्पत्तियां किसी के पास होना प्रमाणित पाया जाता है तो उसके लिए की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के लिए वह व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होगा.

क्र. (1)	सहकारी समिति का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक (3)
1.	उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., मोहलाई	2169
2.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., चिरपोटी	27
3.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., ढौर	24
4.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., अछोटी	20
5.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., भरदा	21
6.	रेत खदान श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्या., उरला	2574
7.	स्टील गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., कुरूद भिलाई	73
8.	एस. ई. रेल्वे इम्प्लाईज सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., दुर्ग	151

(1)	(2)	(3)
9.	म्यूनिसिपल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., दुर्ग	467
10.	साहू तेल उत्पादक सहकारी साख समिति मर्या., पोटिया	1447
11.	गायत्री मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या., पद्मना	2562
12.	नवसाक्षर पिछड़ा वर्ग आदिवासी महिला रेत खदान सहकारी समिति मर्या., चंगोरी	2642
13.	इस्पात कर्मचारी को-आपरेटिव केन्टीन विस्तार भवन भिलाई	1810
14.	सहकारी प्रकाशन समिति मर्या., दुर्ग	30
15.	ग्रामवासी सहकारी विद्युत सिंचाई समिति मर्या., अंजोरा	2083
16.	भारतीय नागरिक औद्योगिक ईंट खपरा सहकारी समिति मर्या., रामनगर भिलाई	2221
17.	जय माँ दुर्गा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., शंकरनगर स्टेशन मरौदा	2679
18.	मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्या., दुर्ग	1909

वाई. के. मिश्रा,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.